मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/केम्प कोर्ट)....मकड़ावा

पीठासीन अधिकारी :- विश्वामित्र मीणा RAS

उनवान

रोहताश .... बनाम .... सरकार

दावा बाबत :- दुरुस्ती इन्द्राज अ.प. धारा 88-89

मुकदमा नम्बर :- 302/13-10-2016

निर्णय दिनांक:- 29-06-2017

वादी की ओर से ..... वकील वादी ..... की व प्रतिवादी की ओर से ..... प्रो. कार. स्वयं ..... की उपस्थिति में आज तारीख 29-06-2017 को विश्वामित्र मीणा (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि - हिस्सेदार वाके साथ मतलबपुर विशाखेड़ा आबादी हाल खसरा नम्बर 725/391 रकबा 1.02 हैक्टेयर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान में वादी के पिता का नाम सेदू का अलमजन किये जाने व इसके स्थान पर वादी के पिता का नाम जंगली दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती अमल दरामद की जावे। पत्रावली मियाद गुजर होकर बदस्तूर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में खुला जाकर आदेश पढ़कर सुनाया गया। वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम मकड़ावा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। (हस्ताक्षर)

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 29-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

(हस्ताक्षर)
(विश्वामित्र मीणा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद प्रत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों को लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर के फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

29/6/17 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई
वादी मय वकील उप० । [illegible] ने [illegible]
प्रा० लिया गया। प्रा० में [illegible]
लिया गया। मुताबिक [illegible] वादी। [illegible]
किया जाना [illegible] प्रतीत होती [illegible] कि किया
जाता है। निर्णय अलग से कैम्प कोर्ट में किया जाता
[illegible] प्रा० लिया गया। पत्रावली निर्णय [illegible]
[illegible] दाखिल दफ्तर की जाये। निर्णय कैम्प कोर्ट में
सुनाया गया।

[illegible]

[illegible] खण्ड अधिकारी
[illegible] (बक्सर)